ऑन लाईन नं. **RCMS 2015/00078**

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार जाखड़, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 78 / 2015

1. देवासिंह पुत्र जीवन सिंह उर्फ जुम्मा सिंह जाति बांवरी निवासी 6 एलजीडब्ल्यू (23 एसटीबी) तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. मखन सिंह पुत्र जीवन सिंह उर्फ जुम्मा सिंह जाति बांवरी निवासी 6 एलजीडब्ल्यू (23 एसटीबी) तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
3. सुरजीत सिंह पुत्र जीवन सिंह उर्फ जुम्मा सिंह जाति बांवरी निवासी 6 एलजीडब्ल्यू (23 एसटीबी) तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
4. गुड्डो पुत्री जीवन सिंह उर्फ जुम्मा सिंह जाति बांवरी निवासी 6 एलजीडब्ल्यू (23 एसटीबी) तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
5. गुरदयालो पुत्री जीवन सिंह उर्फ जुम्मा सिंह जाति बांवरी निवासी 6 एलजीडब्ल्यू (23 एसटीबी) तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
6. टिक्को उर्फ राजकौर पुत्री जीवन सिंह उर्फ जुम्मा सिंह जाति बांवरी निवासी 6 एलजीडब्ल्यू (23 एसटीबी) तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थीगण

बनाम

1. रविन्द्र सिंह पुत्र जंगीर सिंह पुत्र भाग सिंह जाति तरखान निवासी डेलवा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. परमजीत कौर पुत्री जंगीर सिंह पुत्र भाग सिंह जाति तरखान निवासी डेलवा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. गुरनाम सिंह पुत्र जंगीर सिंह पुत्र भाग सिंह जाति तरखान निवासी डेलवा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. जगदीश सिंह पुत्र जंगीर सिंह पुत्र भाग सिंह जाति तरखान निवासी डेलवा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
5. गुरदेव कौर पुत्री जंगीर सिंह पुत्र भाग सिंह जाति तरखान निवासी डेलवा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
6. सदाकौर पत्नी जंगीर सिंह पुत्र भाग सिंह जाति तरखान निवासी डेलवा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
7. कुलवन्त कौर पत्नी बलदेव सिंह जाति तरखान निवासी डेलवा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
8. नक्षत्र सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति तरखान निवासी डेलवा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
9. सुखवन्तसिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति तरखान निवासी डेलवा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

उपस्थित :

1. श्री मोहन लाल माहर, अधिवक्ता, अपीलार्थी संख्या 01 ता 04 एवं 06
2. श्री बंशीलाल बिश्नोई अधिवक्ता, अपीलार्थीया संख्या 05
3. श्री सुरेश अरोड़ा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस

आदेश **दिनांक :—25.10.2023**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि :—

1. यह कि अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्व , प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों एवं रिकॉर्ड पर आई साक्ष्य के विपरीत पारित किया गया है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न अपील है।
2. यह कि अपीलाधीन आदेश में वर्णित कृषि भूमि वाके चक 9 एन.एन. के 12.10 बीघा रकबा अपीलार्थीगण के पिता स्व. जीवन सिंह उर्फ जुम्मा सिंह तथा भजन सिंह पिसरान किशन सिंह को बहिस्सा बराबर—बराबर आवंटित की गई थी जिसमें अपीलार्थीगण के पिता ने कभी भी मुखत्यारआम नियुक्त नहीं किया था और ना ही कभी कृषि भूमि का हस्तान्तरण रेस्पोडेन्ट के पिता जंगीर सिंह को किया गया था। इसलिये अपीलार्थीगण के 1/2 हिस्सा पर रेस्पोडेन्ट अतिकर्मी की हैसियत से काबिज काश्त थे जिन्हें बेदखल कर कब्जा दिलाया जाना कानूनन आवश्यक था।
3. यह कि विवादित कृषि भूमि आज भी अपीलार्थीगण के ताया भजन सिह के नाम से गैरखातेदारी कृषि भूमि का आधा हिस्सा खातेदार घोषित किया जा चुका है। इसलिये अपीलार्थीगण अपने आधे हिस्सा का कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है।
4. यह कि पूर्व निर्णय दिनांक 03.09.1994 का वर्तमान प्रकरण पर कतई चस्पा नहीं होता है। प्रथमतः तो निर्णय दिनांक 03.09.1994 एक पक्षीय रूप से केवल अप्रार्थी संख्या 2 को सुनकर निर्णय पारित किया गया है। द्वितीय आदेश दिनांक 03.09.1994 का कानूनन विधि के अज्ञापक प्रावधानों के विपरीत किया गया है। इस प्रकार आदेश दिनांक 03.09.1994 गुण दोषो पर पारित नहीं होने से स्वीकार्य योग्य नहीं है।
5. यह कि निर्विवाद रूप से कृषि भूमि पुर्नवास विभाग की गैरखातेदारी कृषि भूमि है। डी.पी. एण्ड सी.आर. अधिनियम रिपिल हो जाने के कारण वर्तमान प्रकरण सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है। राजस्व न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को दिनांक 01.10.2015 को सक्षम घोषित किया जा चुका है। इसलिये अपीलार्थीगण अतिकर्मी को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने के पूर्णतया अधिकारी है।
6. यह कि अन्य महत्वपूर्ण व कानूनी तथ्य वर वक्त बहस अर्ज किये जावेगें। जिनके आधार पर अपील स्वीकार्य योग्य है।
7. यह कि अपील अपीलांट अन्दर मियाद है, श्रीमान जी न्यायालय क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है और उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

लिहाजा अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक क14.10.2015 निरस्त फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र धारा 183 (बी)(सी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार फरमाया जावें।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलांट बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि अपीलार्थीगण के नाम से चक 9 एन.एन. के 12.10 बीघा रकबा अपीलार्थीगण के पिता स्व. जीवन सिंह उर्फ जुम्मा सिंह तथा भजन सिंह पिसरान किशन सिंह को बहिस्सा बराबर-बराबर आवंटित की गई थी जिसमें अपीलार्थीगण के पिता ने कभी भी मुखत्यारआम नियुक्त नहीं किया था और ना ही कभी कृषि भूमि का हस्तान्तरण रेस्पोडेन्ट के पिता जंगीर सिंह को किया गया था। विवादित कृषि भूमि आज भी अपीलार्थीगण के ताया भजन सिंह के नाम से गैरखातेदारी कृषि भूमि का आधा हिस्सा खातेदार घोषित किया जा चुका है। इसलिये अपीलार्थीगण अपने आधे हिस्सा का कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। निर्णय दिनांक 03.09.1994 वर्तमान प्रकरण पर कतई चस्पा नहीं होता है। निर्णय दिनांक 03.09.1994 एक पक्षीय रूप से केवल अप्रार्थी संख्या 2 को सुनकर निर्णय पारित किया गया है। द्वितीय आदेश दिनांक 03.09.1994 का कानूनन विधि के अज्ञापक प्रावधानों के विपरीत किया गया है। निर्णय दिनांक 03.09.1994 गुण दोषो पर पारित नहीं किया गया है। राजस्व न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को दिनांक 01.10.2015 को सक्षम घोषित किया जा चुका है। इसलिये अपीलार्थीगण अतिकर्मी को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने के पूर्णतया अधिकारी है। अपील अपीलान्टान स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांकित 14.10.2015 अपास्त फरमाया जावें एवं अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राज.काश्त.अधि. का स्वीकार फरमाया जाकर अपीलार्थीगण का अपीलाधीन कृषि भूमि का कब्जा दिलवाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि चक 9 एन.एन. के खाता संख्या 72/71 के मुरब्बा नम्बर 08 के उक्त 12.10 बीघा भूमि से अपीलार्थीगण के पिता जीवन सिंह उर्फ जुम्मा सिंह को कोई ताल्लुकात नहीं है। विवादित भूमि भजन सिंह पुत्र किशन सिंह जाति बांवरी निवासी डेंलवा स्वयं को आवटन हुई थी। भजन सिंह द्वारा जरिए रजिस्टर्ड मुखत्यारेआम व रजिस्टर्ड बैयनामा से दिनांक 31.03.1971 को अप्रार्थीगण /प्रतिवादीगण के पिता जंगीर सिंह पुत्र भाग सिंह को उक्त भूमि बेचान की हुई है तथा उक्त बैयनामा सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्ण स्टाम्प ड्युटी पर पंजीयन किया गया है। भूमि अलॉटी भजन सिंह वर्ष 1971 मे अनुसूचित जाति में सम्मलित नही था इसलिए सक्षम अधिकारी द्वारा बैयनामा सही होने के कारण ही पंजीयन किया गया है तथा इस सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर द्वारा प्रकरण संख्या 285/83 बअनवानी सरकार बनाम भजन सिंह अन्तर्गत धारा 175 आरटीए के निर्णय दिनांक 03.09.1994 द्वारा स्टेट का वाद पत्र इस फाईडिंग के साथ खारिज किया है कि 1976 से पूर्व बांवरी जाति श्रीगंगानगर जिले में अनुसूचित जाति की सूचि में सम्मलित नहीं किया गया था विचाराधीन प्र्यकरण में भूमि बांवरी जाति के व्यक्ति से वर्ष 1971 में क्रय की गयी थी अतः जब वर्ष 1971 में बांवरी जाति श्रीगंगानगर जिले में अनुसूचित जाति में

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

सम्मलित नहीं थी तो बेचान को धारा 42 (ख) के विपरीत नहीं माना जा सकता। उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्टस का खरीद की तारीख से लेकर आज तक विधिवत् कब्जा है। राजस्व पटवारी हल्का डेलवां द्वारा दिनांक 14.05.2015 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि चक 9 एन.एन. के मुरब्बा नम्बर 08 के किला नम्बर 1,2, 9 ता 12, 18 ता 23 सालम व 13/3 की 0.127 हैक्टर कुल 03.163 हैक्टर भूमि भजन सिंह पुत्र किशन सिंह कौम बांवरी निवासी डेलवा के पु0 आ0 गैरखातेदारी दर्ज है जिस पर रेस्पोडेन्ट रविन्द्र सिंह पुत्र जंगीर सिंह आदि जोकि जंगीर सिंह पुत्र भाग सिंह जाति तरखान के वारिसान है मौके पर काबिज है। उपरोक्त भूमि दिनांक 31.03.1971 को रजिस्टर्ड बैयनामा द्वारा इनकी खरीद की हुई है तथा उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरनपुर द्वारा दिनांक 03.09.1994 को दावा 175 आरटीए का दावा इस आधार पर खारिज किया है कि बांवरी जाति वर्ष 1976 से पूर्व श्रीगंगानगर जिले में एस.सी. में शामिल नहीं थी जबकि यह खरीद वर्ष 1971 की है। अतः तहसीलदार पदमपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.10.2015 बहाल रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि हस्तगत प्रकरण में यह हस्तांतरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 42(ख) के अन्तर्गत प्रतिबन्धित है क्योंकि कोई भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा उनसे भिन्न जाति के किसी सदस्य को दिनांक 22.09.1956 से कोई भूमि बिक्री/हस्तांतरण करने में स्पष्ट कानूनी प्रतिबंध था। ऐसी स्थिति में यह हस्तान्तरण भी प्रतिबन्धित श्रेणी में है। अतः रकबा बहक सरकार लिया जाना चाहिए।

हस्तगत प्रकरण का प्रस्तुत कानूनी प्रावधानों/दृष्टांतों के आलोक में परीक्षण किया गया। मामले में चक 9 एन.एन. के खाता संख्या 72/71 के मुरब्बा नम्बर 08 के उक्त 12.10 बीघा भूमि से अपीलार्थीगण के पिता जीवन सिंह उर्फ जुम्मा सिंह को कोई ताल्लुकात नहीं है। विवादित भूमि भजन सिंह पुत्र किशन सिंह जाति बांवरी निवासी डेंलवा स्वयं को आवंटन हुई थी। भजन सिंह द्वारा जरिए रजिस्टर्ड मुखत्यारेआम व रजिस्टर्ड बैयनामा से दिनांक 31.03.1971 को रेस्पोडेन्टस के पिता जंगीर सिंह पुत्र भाग सिंह को उक्त भूमि बेचान की हुई है। जहां तक उक्त हस्तान्तरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 42(ख) के अन्तर्गत प्रतिबन्धित है या नहीं ? के सम्बन्ध में बांवरी जाति पत्रावली में उपलब्ध **"भारत का राजपत्र में बांवरी जारी वर्ष 1976 में श्रीगंगानगर जिले में (एस.सी.) में ली गई है"** है। अधिवक्ता रेसपोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नजीर :—**RRD 1981-Page -571** अपील संख्या 211 अनवानी मोहन लाल बनाम मघाराम 1976 से पूर्व राज0 के लिए अनुसूचित जाति की सूची में अजमेर जिले में बावरी को अनुसूचित जाति में शामिल किया गया किन्तु अन्य जिलों में शामिल नहीं किया गया। —क.स. 10 पर अन्य जिलो की सूची में बावरिया अनु. जाति के सदस्य बताए गए किन्तु इसमें बांवरी सम्मिलित नहीं है। वादग्रस्त भूमि **वर्तमान जमाबन्दी में भजनसिंह पुत्र किशन सिंह जाति बांवरी निवासी डेलवां पुख्ता अलॉटी गैरखातेदार दर्ज है तथा उक्त प्रकरण में पूर्व में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीकरनपुर द्वारा प्रकरण संख्या 285/83 अनवानी स्टेट बनाम भजन सिंह, जंगीर सिंह आदि में निर्णय दिनांक 03.09.1994 पारित करते हुए बांवरी जाति वर्ष 1971 को श्रीगंगानगर जिले में अनुसूतिच जाति में सम्मलित नहीं माना है एवं भारत के गजट नोटिफिकेशन में भी बांवरी जाति श्रीगंगानगर जिले में वर्ष 1976**

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

में अनुसूचित जाति में माना है जब वर्ष 1971 में बावरी जाति अनुसूचित जाति में सम्मलित नहीं थी तो बेचान को धारा 42 ख के वितरीत नहीं माना जा सकता है। धारा 183बी व 183 सी के तहत जमाबन्दी में दर्ज खातेदार/गैरखातेदार को ही रिलीफ दी जा सकती है चूंकि अपीलार्थी स्वयं या अपीलार्थीगण के पिता रिकॉर्ड में खातेदार/ गैरखातेदार दर्ज नहीं है। अतः अपीलार्थीगण कोई रिलीफ पाने के अधिकारी नहीं है। फलस्वरूप अपीलांट की अपील खारिज की जाती है तहसीलदार पदमपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.10.2015 बहाल रखा जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 25.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अति० जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर